झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, रांची

पत्रांक :–वि0प्रा0योजना–53/11 – 01/बजट /रांची, दिनांक– 06/05/2022

प्रेषक,

के0के0 खण्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
बी0आई0टी0 सिन्दरी।

विषय :– **वर्तमान वितीय वर्ष 2022–23 में राज्य स्कीम बजट शीर्ष अन्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/महिला अभियंत्रण महाविद्यालय के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा स्थापना एवं अन्य प्रयोजन हेतु कुल रू0 11,53,64,000/– (रू0 ग्यारह करोड़ तिरपन लाख चौंसठ हजार) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 02/योजना दिनांक 29.04.2022 एवं वित विभाग के पत्रांक–245/बजट दिनांक–30.03.2022 के आलोक में वर्तमान वितीय वर्ष 2022–23 में संबंधित शीर्ष में उपबंधित राशि व्यय प्रयोजन हेतु कुल रू0 11,53,64,000/– (रू0 ग्यारह करोड़ तिरपन लाख चौंसठ हजार) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	इकाई का नाम	OSP
1	वेतन	58,51,000.00 (विपत्र कोड़–43S22030011202000101)
2	संविदा भता	72,58,000.00 (विपत्र कोड़–43S22030011202000108)
3	कार्यालय व्यय	75,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S22030011202000315)
4	कार्यालय उपकरण	3,28,05,000.00 (विपत्र कोड़–43S22030011202000317)
5	सेमिनार/समारोह/कार्यशाला	1,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S22030011202000321)
6	आपूर्ति एवं सामग्री	4,50,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S22030011202000323)
7	व्यावसायिक सेवाएँ	1,00,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S22030011202000329)
8	पुस्तकालय	25,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S22030011202000332)
9	दूरभाष	40,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S22030011202000333)
10	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	2,50,000.00 (विपत्र कोड़–43S22030011202000442)
11	अन्य व्यय	1,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S22030011202000759)
	कुल	11,53,64,000.00
	(रू0 ग्यारह करोड़ तिरपन लाख चौंसठ हजार मात्र	

2. उक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–112–इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान–उप शीर्ष–02–स्नातक एवं स्नातकोतर पाठ्यक्रम का सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत वितीय वर्ष 2022–23 में उपबंधित राशि रू0 15,00,00,000/– (रू0 पन्द्रह करोड़) मात्र के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाये। यह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाब देही होगी।
4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगें कि इस कार्य के लिये अन्य स्त्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।
5. यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा कोड़ 0137 है।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।
7. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी होगें।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आंवटनादेश निर्गत होने के पश्चात ही राशि की निकासी एवं व्ययन करने के क्रम में विपत्र पत्र पर तदनुसार उपर्युक्त कंडिका 02 के बजट शीर्ष विपत्र पर अंकित करेगें।
9. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17/4/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
10. उक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, धनबाद से की जायेगी।
11. स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित विभाग (अंकेक्षण) को होगा।
12. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
13. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0, सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चितक करेंगे।

विश्वासभाजन

6.1.5

(के0 के0 खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव